41

संख्या: ई0 ओ0 39/1–10–2013

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुरखीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, पीलीभीत एवं बस्ती।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक: 17 जुलाई, 2013

विषय :बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य करने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों यथा मोटर बोट/रबर मोटर बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ ब्वाय रिंग, ड्रेगेन लाइट, रस्सा, रेनकोट, छोटी बड़ी नाव, जेरीकेन, तारपुलिन शीट, मच्छरदानी, चेन सॉ, स्लेज हैमर, वालंटियर जैकेट, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट विद हेड लैम्प, टार्च विद बैटरी, प्री फैबरीकेटेड पैनेल टेन्ट, सीढ़ी, लाउड स्पीकर, मेगाफोन, रस्सी आदि के क्रय हेतु प्रति जनपद रू0 10–10 लाख की दर से अर्थात् कुल धनराशि रू0 1,00,00,000/– (रू0 एक करोड़ मात्र), वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का व्यय शासन के पत्र सं0–317/1–11–2013, दिनांक 05.07.2013 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या–32–3/2013–NDM-1, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जायें।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। सम्बन्धित जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त उपकरणों के क्रय के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि/विभाग से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। **उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त उपकरणों को क्रय करते समय वित्तीय क्रय, प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा क्रय किये गये उपकरणों को आवश्यकतानुसार आगामी बाढ़ से भी निपटने के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।**

5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: 39/1–10–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, पीलीभीत एवं बस्ती।
7– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8– समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव